कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

E-mail :-dfomus-forest-uk@nic.in, dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/fax 0135 2631765

संख्या–2682/12-1 दिनांकः, मसूरी, 15/12/2021

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत निम्न कार्यों हेतु निम्नानुसार सक्षम लो0नि0वि0/के0लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में सिविल कार्य में पंजीकृत के साथ–साथ मसूरी वन प्रभाग में ठेकेदारी हेतु पंजीकृत होना आवश्यक है। ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें (जी0एस0टी0 दर सहित) दिनांक **27.12.2021 को सांय 4:00 बजे तक** पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट /कोरियर से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक–**16.12.2021 से 23.12.2021 सांय 5.00** बजे तक प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय, मसूरी से प्राप्त की जा सकती है। यह निविदायें दिनांक– **30.12.2021 को अपराहन 12:00 बजे** प्रभाग स्तरीय निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी। अन्य निविदा शर्तों का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय, मसूरी नोटिस बोर्ड अथवा सम्बन्धित राजि/यूनिट कार्यालय से तथा विभागीय वेबसाईट www.forest.uk.gov.inसे कर सकते हैं ।

कार्य का विवरण प्राक्कलन के अनुसार

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्यवधि	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि
1	मुख्य मार्ग मसूरी–चम्बा मोटर मार्ग से ग्राम फिडोगी तक 01 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 0–1) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1213334.00	1500+18% GST	40000.00
2	मुख्य मार्ग मसूरी–चम्बा मोटर मार्ग से ग्राम फिडोगी तक 01 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 1–2) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1213333.00	1500+18% GST	40000.00
3	मुख्य मार्ग मसूरी–चम्बा मोटर मार्ग से ग्राम फिडोगी तक 01 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 2–3) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1213333.00	1500+18% GST	40000.00
4	धनोल्टी सड़क मार्ग (बदवाला) से आलूचक (तपोवन) तक 01 कि0मी0 पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1282000.00	1500+18% GST	40000.00
5	धनोल्टी सड़क मुख्य मार्ग से नौघर तक 01 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 0–1) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1175555.00	1500+18% GST	40000.00
6	धनोल्टी सड़क मुख्य मार्ग से नौघर तक 01 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 1–2) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1175555.00	1500+18% GST	40000.00
7	धनोल्टी सड़क मुख्य मार्ग से नौघर तक 01 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 2–3) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1175555.00	1500+18% GST	40000.00
8	धनोल्टी सड़क मुख्य मार्ग से नौघर तक 1.5 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 3–4.5) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1763335.00	1500+18% GST	55000.00

9	धनोल्टी सड़क मुख्य मार्ग से बिड़कोट तक 01 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 0–1) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1211429.00	1500+18% GST	40000.00
10	धनोल्टी सड़क मुख्य मार्ग से ~~चौफर~~ बिड़कोट तक 01 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 1–2) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1211429.00	1500+18% GST	40000.00
11	धनोल्टी सड़क मुख्य मार्ग से ~~चौफर~~ बिड़कोट तक 1.5 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 2–3.5) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1817142.00	1500+18% GST	55000.00
12	मुख्य मार्ग (धनोल्टी चम्बा मोटर मार्ग) से ग्राम दबाली तक 01 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 2–3) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1203500.00	1500+18% GST	40000.00
13	मुख्य मार्ग (धनोल्टी चम्बा मोटर मार्ग) से ग्राम दबाली तक 01 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 3–4) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	1203500.00	1500+18% GST	40000.00
14	मुख्य मार्ग (ग्राम दबाली से नकुर्ची) तक 01 कि0मी0 (कि0मी0 सं0 1–2) पैदल मार्ग पर खडिजा बिछाना व सुदृढीकरण कार्य।	60 दिन	2048000.00	2000+18% GST	65000.00

नोटः– शर्तें एवं प्रतिबन्ध मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

निविदा की शर्तें:—

1. निविदादाता को प्रत्येक कार्य के लिए अलग—अलग निविदा देनी होगी।
2. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और वह स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. निविदा लिफाफे के बाहर जिस कार्य हेतु निविदा दी जा रही है का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए।
4. निविदा में स्पष्ट लिखा होना चाहिये कि निविदादाता प्राक्कलन लागत से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक पर कार्य करने को तैयार है। एक मुश्त दरे मान्य नहीं होगी। ऐसी निविदा निरस्त मानी जायेगी।
5. सर्शत निविदा मान्य नहीं होगी।
6. निविदा के साथ निविदा में दर्शायी गयी धनराशी नेक जमानत/बयाना धनराशी के रूप में राष्टीय बचत पत्र/बैंक की एफ0डी0आर0 प्रभागीय वनाधिकारी,मसूरी वन प्रभाग के पदनाम पर निरूपित कर संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. निविदा प्रपत्र के साथ रू0 100/- का नान—ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1.00 का रसीद टिकट निविदादाता के हस्ताक्षरयुक्त होना अनिवार्य होगा, साथ ही निविदादाता द्वारा टेण्डर की शर्तो पर सहमति दी हो, पर हस्ताक्षर कर संलग्न करना अनिवार्य है।
8. निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण, आयकर पंजीकरण की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
9. ठेकेदार द्वारा निविदा में दी गयी न्यूनतम दें कम से कम एक माह के लिए मान्य होगी। अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि उक्त अवधि मे ठेकेदार को अनुबन्ध के लिए किसी भी समय बुलाया जा सकता है।
10. निविदादाता निविदा प्रेषित करने से पूर्व कार्य स्थल,प्राक्कलन, मानचित्र तथा संगत अभिलेखो का निरीक्षण भली—भॉति कर ले बाद में किसी प्रकार की शिकायत स्वीकार नही की जायेगी।
11. निविदा के साथ 3% धरोहर राशि का ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक है जो कि राष्ट्रीकृत बैंक/डाकघर की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप जो कि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग के पक्ष में जमा हो संलग्न करना अनिवार्य है।
12. निविदा स्वीकृत किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने के 7 दिन के अन्दर निविदादाता को प्रभागीय कार्यालय में उपस्थित होकर निविदा का 10 प्रतिशत (3% धरोहर राशि को सम्मिलित करते हुए) अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित कर जमानत के रूप में जमा करना होगा। जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त निविदादाता को अनुबन्ध किये जाने के पश्चात सम्बन्धित ठेकेदार के पक्ष में कार्यादेश जारी किया जायेगा। कार्य आदेश प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य का अनुमान एवं पूर्ण जानकारी वन क्षेत्राधिकारी जौनपुर रेंज के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। कार्यादेश जारी होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर निविदा की बन्धक धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त करने की कार्यवाही की जासकती है तथा निविदादाता के विरूध नियमानुसार आवश्यक कार्यावाही की जायेगी।
13. निविदा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर मान्य नहीं होगें।
14. कार्य की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए साथ ही कार्यं में प्रयुक्त समस्त सामग्री भी उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
15. यदि उच्च अधिकारी द्वारा प्राक्कलन में किसी प्रकार का संशोधित किया जाता है तो वह ठेकेदार को मान्य होगा तथा अन्तिम भुगतान तद्नुसार ही तुलनात्मक रूप से किया जायेगा।
16. कार्यादेश में दी गयी अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रतिदिन विलम्ब के लिये विलम्ब शुल्क निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सूरक्षित होगा।
17. निविदा खुलने के तत्पश्चात सफल निविदादाता को दस दिन के भितर सक्षम अधिकारी द्वारा देय चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा जो निविदा खोले जाने की तिथि से छःमाह से अधिक पूर्व का ना हो।
18. निविदादाता को लो0नि0वि0/के0लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग एवं ग्रमीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत वर्ष 2021—22 विभिन्न निर्माण कार्यो का ठेकेदारी व्यवसाय हेतु पंजीकृत होना चाहिय साथ ही मसूरी वन प्रभाग में भी ठेकेदारी हेतु पंजीकृत होने विषयक दस्तावेज प्रस्तुत कराना होगा, तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न होनी चाहिये, जो कि निविदा खोलने की तिथि तक वैध हो।
19. कार्यो का भुगतान सक्षम अधिकारी के निरिक्षण के पश्चात संतोषजनक होने पर किया जायेगा।
20. निर्माण में जो भी मलवा आदि स्थल पर आयेगा उसको ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर हटाना होगा तथा इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा देय नही होगी।
21. शासनादेश के अनुसार जी0एस0टी0 व्यापार कर, आयकर व स्टाम्प शुल्क देना होगा जिसकी कटौती ठेकेदार के भुगतान से की जायेगी।
22. निविदादाता को निविदा में अपना पूरा पता, पिता का नाम, दूरभाष संख्या आदि अंकित करना अनिवार्य होगा। दिये गये पते पर पोस्टल डाक द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त न होने पर यह कार्यालय उत्तरदायी नही होगा।

23. ठेकेदार को निर्माण सामग्री पर देय रॉयल्टी/चुंगी आदि का भुगतान अपने खर्च पर करना होगा। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
24. यदि निविदा खुलने की तिथि में कोई राजकीय अवकाश पड़ता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
25. यदि ठेकेदार द्वारा कोई कार्य असंतोषजनक किया जाता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर जमानत की धनराशि जब्त/अपहरीत कर ली जायेगी साथ ही ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड भी किया जा सकता है।
26. 50 प्रतिशत संतोषजनक रूप से कार्य पूर्ण हो जाने पर 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जायेगा। अवशेष 70 प्रतिशत राशि का भुगतान कार्य के संतोषजनंक रूप से पूर्ण होने पर किया जायेगा।
27. कार्य पूर्ण होने के छः माह तक आपदा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से कराये गये कार्य में क्षति होने पर ठेकेदार को अपने व्यय पर मरम्मत कार्य करना होगा।
28. अन्तिम भुगतान हो जाने के उपरान्त भी यदि कोई राजकीय बकाया वसूली अवशेष रह जाती है, तो उसके भुगतान हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।
29. कार्य का निरीक्षण क्षेत्रिय वन रक्षक/वन दरोगा से लेकर उच्च अधिकारी कर सकते है। कार्य संतोषजनक न होने पर ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर पुनः कार्य ठीक करना होगा अथवा भुगतान काट लिया जायेगा।
30. कार्यो कि मात्रा/संख्या क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार घट बढ सकती हैं।
31. अधोहस्ताक्षरी निविदा को बिना कारण बतायें किसी भी समय निरस्त कर सकते है।
32. विभाग कोई भी सामग्री ठेकेदार को देने के लिए बाध्य नही होगा। यदि विभाग द्वारा कोई सामग्री दी जायेगी तो इसका मूल्य प्रांक्कलन में दी गयी दर के अनुसार बिल से काट लिया जायेगा।
33. यदि व्यय अनुमान के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति के किया गया तो उसका भुगतान करने के लिए विभाग बाध्य नही होगा।
34. डाक में विलम्ब के लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
35. निविदा फार्म क्रय करते समय निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह ठेकेदारी पंजीकरण की पुष्टि में संगत दस्तावेज की छाया प्रति दिखाना होगा जो निविदा खोलने की तिथि तक वैध होनी चाहिए तद्पश्चात ही निविदा फार्म दिया जायेगा।
36. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में वन संरक्षक, यमुना वृत्त उत्तराखण्ड 87 राजपुर रोड़,देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।

(कहकशां नसीम, भा0व0से0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

<u>प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आई0टी0सैल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को विभागीय वैब साईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, यमुना वृत्त।
6. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, देहरादून तथा मसूरी।
7. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसका वृहद प्रचार–प्रसार अपनी रेंज के अन्तर्गत करें।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

I.T.C.C